



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05072021-228102
CG-DL-W-05072021-228102

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 3—जुलाई 9, 2021 (आषाढ़ 12, 1943)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 3—JULY 9, 2021 (ASADHA 12, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	271	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	499	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2293	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1167
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	137
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1225
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	271	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	499	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	2293	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1167
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	137
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1225
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2021

सं. एफ. 9-9/2020-यू3(ए)—जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षण संस्था को समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली को समवत विश्वविद्यालय का दर्जा (डी-नोवो श्रेणी के तहत) प्रदान करने के लिए दिनांक 18.08.2020 को एक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ था। संस्थान ने निम्नलिखित छह स्कूलों को डी-नोवो श्रेणी के तहत शुरू करने का प्रस्ताव दिया था:—

- I. योग शिक्षा और मानव उत्कृष्टता स्कूल
- II. योग और अध्यात्म स्कूल
- III. योग और एकीकृत चिकित्सा स्कूल
- IV. योग और जीवन विज्ञान स्कूल
- V. योग और प्रबंधन स्कूल
- VI. योग और मानविकी स्कूल

3. और जबकि, आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को यूजीसी (विश्वविद्यालय सम संस्थान) विनियम, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण और सलाह के लिए अग्रेषित किया गया था। यूजीसी ने आवेदन के डी-नोवो पहलुओं का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

4. और जबकि, यूजीसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने 27.04.2021 को तीन साल की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया:

- I. संस्थान उपरोक्त स्कूल में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करेगा;
- II. संस्थान अपेक्षित योग्यताओं के साथ पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती करेगा;
- III. संस्थान प्रस्तावित स्कूलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा;
- IV. संस्थान समवत विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के बाद संबद्ध विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रमों की असंबद्धता के लिए पत्र प्राप्त करेगा।

5. और इसके अलावा जबकि, संस्थान ने भारत सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को 11.06.2021 को भेजा गया था। आशय-पत्र (एलओआई) की शर्तों को सत्यापित करने के लिए संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट को यूजीसी की विशेषज्ञ समिति के समक्ष 14.06.2021 को रखा गया था। अध्यक्ष, यूजीसी ने समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को मंजूरी दी:

“समिति ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया और संस्थान के निदेशक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति पर विचार किया। उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति अनुपालन रिपोर्ट से संतुष्ट है और समितिका मानना है कि आशय पत्र (एलओआई) की शर्तों को पूरा किया गया है। समिति डी-नोवो श्रेणी के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली को समवत विश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश करती है।”

6. अतः अब, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर, एतद्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली को इन शर्तों के अधीन डी-नोवो श्रेणी के तहत पांच साल की अनंतिम अवधि के लिए समवत विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करती है कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली यूजीसी के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में संकायों की भर्ती के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, द्वारका, दिल्ली से इसके पाठ्यक्रमों की संबद्धता के लिए पत्र प्रस्तुत करेगा।

7. यह घोषणा यूजीसी (विश्वविद्यालय सम संस्थान) विनियम, 2019 और केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संगत मानदंडों/नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के अधीन है।

कामिनी चौहान रतन
संयुक्त सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2021

सं. सीडी-III-22/3/2016-सीडी-III—जैसा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से संपूरक पोषण(समेकित बाल विकास सेवाएं स्कीम के तहत) नियमावली, 2017 अधिसूचित की गई थी।

जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 4 और 5 के तहत हकदारियां उक्त अधिनियम की अनुसूची II के तहत पहले से ही शामिल हैं, मानकों और गुणवत्ता सहित, प्रचालन पहलू और निगरानी गतिशील और परिवर्तन के अधीन हैं और इसलिए नियमों में उनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

जैसा कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39(2) में कहा गया है कि ऐसे नियम इसमें उल्लिखित सभी या किसी मामले से संबंधित हो सकते हैं। अतएव, नियमों के तहत उक्त में से किसी या सभी मामलों के लिए प्रावधान करना अनिवार्य नहीं है।

जैसा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2021 को जारी किए गए सुव्यवस्थित दिशानिर्देशों में विभिन्न प्रचालन पहलुओं का समाधान किया गया है और ये पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों के प्रतिरूप उक्त नियमों की सीमा तक संपूरक पोषण(समेकित बाल विकास सेवाएं स्कीम के तहत) नियमावली, 2017 का स्थान लेंगे। इसके अलावा, समेकित पोषण सहयोग कार्यक्रम-मिशन पोषण 2.0 स्कीम के प्रस्तावित होने से मौजूदा संपूरक पोषण नियमावली, 2017 के तहत अनेक प्रावधान निष्प्रयोज्य हो गए हैं।

उपरोक्त के मद्देनज़र, मौजूदा संपूरक पोषण(समेकित बाल विकास सेवाएं स्कीम के तहत) नियमावली, 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एतद्वारा अन-अधिसूचित किया जाता है।

के. श्रीनिवासन
अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 18th June 2021

No. F.9-9/2020-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution Deemed to be University.

2. And whereas, an online application was received on 18.08.2020 for grant of Deemed to be University status (under De-novo category) to Morarji Desai National Institute of Yoga, 68, Ashok Road, New Delhi under Section 3 of the UGC Act, 1956. The Institute had proposed to start the following six schools under de-novo category:-

- (i) School of Yoga Education and Human Excellence
- (ii) School of Yoga and Spirituality
- (iii) School of Yoga and integrative Therapies
- (iv) School of Yoga and Life Sciences
- (v) School of Yoga and Management
- (vi) School of Yoga and Humanities

3. And whereas, the application was forwarded to University Grants Commission (UGC) for examination and advice in accordance with provisions contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019. UGC constituted an Expert Committee to assess the de-novo aspects of the application.

4. And whereas, taking into consideration the advice of UGC, the Ministry issued Letter of Intent (LoI) on 27.04.2021 for fulfilment of the following conditions within a period of three years:

- i. The Institute shall prepare detailed syllabi for the courses to be offered in the above School;
- ii. The Institution shall recruit adequate faculty with the requisite qualifications;
- iii. The Institution shall create necessary infrastructure for the proposed Schools;
- iv. The Institution shall obtain letter from the affiliating university for disaffiliation of Courses after obtaining the status of Deemed to be University.

5. And further whereas, the Institution submitted compliance report to the Government of India which was forwarded to UGC on 11.06.2021 for verification and advice. In order to verify the conditions of LoI, the compliance report of the Institution was placed before the Expert Committee of UGC on 14.6.2021. The Chairman, UGC approved the following recommendation of the Committee:

“The Committee perused the compliance report submitted by the Institute and considered the presentation made by the Director of the Institute. After due deliberation, the Committee is satisfied with the compliance report and is of view that the conditions of the Letter of Intent (LoI) have been fulfilled. The Committee recommends granting Deemed to be University status to Morarji Desai National Institute of Yoga, 68, Ashoka Road, New Delhi under De-Novo Category.”

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby declares Morarji Desai National Institute of Yoga, 68, Ashok Road, New Delhi as an Institution Deemed to be University under de-novo category for a provisional period of five years subject to conditions that Morarji Desai National Institute of Yoga, 68, Ashok Road, New Delhi will submit compliance report for recruitment of the adequate number of faculties as per the norms of UGC and letter from affiliating University i.e. Guru Gobind Singh Indraprastha University, Dwarka, Delhi for disaffiliation of its courses.

7. This declaration is further subject to the compliance of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and other relevant Norms/Rules/Regulations/Directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

KAMINI CHAUHAN RATAN
Joint Secretary

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 28th June 2021

No. CD-III-22/3/2016-CD-III—Whereas the Supplementary Nutrition (under the Integrated Child Development Services Scheme) Rules, 2017 were notified by the Ministry of Women and Child Development vide Notification dated 20th February, 2017.

Whereas the entitlements under Sections 4 and 5 of the National Food Security Act, 2013 are already covered under Schedule II of the said Act. Operational aspects including standards and quality, monitoring etc., are dynamic and subject to change and therefore need not be referred under Rules.

Whereas it may be noted that Section 39 (2) of the National Food Security Act, 2013, states that such rules may provide for all or any of the matters, cited thereunder. There is therefore, no compulsion to provide for any or all of the said matters under the Rules.

Whereas the Streamlined Guidelines dated 13th January, 2021 issued by the Ministry of Women and Child Development have addressed various operational aspects and shall therefore supersede the Supplementary Nutrition (under the Integrated Child Development Services Scheme) Rules, 2017 to the extent the said Rules duplicate the guidelines already issued. Besides, many of the provisions under the extant Supplementary Nutrition Rules, 2017 have become redundant as a new scheme, the Integrated Nutrition Support Programme – Mission Poshan 2.0, is proposed.

In view of the above, the extant Supplementary Nutrition (under the Integrated Child Development Services Scheme) Rules, 2017 are de-notified forthwith with the approval of the Competent Authority in the Ministry of Women and Child Development.

K. SRINIVASAN
Under Secretary